उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-116/2018/1922/30-3-18-08जीई/2018

लखनऊ, दिनॉक 29 मई, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-59/2018/1786/30-3-18-08जीई/2018, दिनांक 18-05-2018 द्वारा किये गये श्री के0डी0 गौर सम्भागीय परिवहन अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश की प्रस्तर-1 की दूसरी पंक्ति में त्रुटिवश सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर के स्थान पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मिर्जापुर अंकित हो गया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 18-05-2018 के प्रस्तर-1 की दूसरी पंक्ति में अंकित सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मिर्जापुर के स्थान पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 18-05--2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-
आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

संख्या-116 /2018/1922(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4- सम्बन्धित अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त।
5- सम्बन्धित अधिकारी।
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।